उत्तर प्रदेश शासन
लोक निर्माण अनुभाग-11
संख्या-66/2026/I/1235561/2026/23-11099(099)/353/2025
लखनऊ: दिनांक 11 फरवरी, 2026

**शुद्धि-पत्र**

शासनादेश संख्या-499/2025/I/1171830/2025/23-11099(099)/353/2025, दिनांक 11.12.2025 द्वारा जनपद प्रयागराज (प्रा0ख0) की विधान सभा कोरांव के अन्तर्गत देवघाट-बड़ोखर-टुडियार मार्ग के (चैनेज 0.000 से 16.000) टिकरा बैजनाथ-करथुनी-लालगंज-दादरा-गाजनपुर दुवरिया(अ0जि0मा0) का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य (लम्बाई-16.00 किमी0) की 5 वर्षीय अनुरक्षण सहित लागत रू0 2677.74 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए लागत के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल रू0 937.21 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

2- उक्त शासनादेश दिनांक 11-12-2025 के विषय, प्रस्तर-1 व प्रस्तर-1 मे उल्लिखित तालिका में कार्य का वास्तविक नाम "जनपद प्रयागराज में देवघाट-बड़ोखर-टुडियार मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य (चैनेज 0.000 से 16.000)(लम्बाई 16.00 किमी0)" के स्थान पर टंकण त्रुटिवश "जनपद प्रयागराज(प्रा0ख0) की विधान सभा कोरांव के अन्तर्गत देवघाट-बड़ोखर-टुडियार मार्ग के (चैनेज 0.000 से 16.000) टिकरा बैजनाथ-करथुनी-लालगंज-दादरा-गाजनपुर दुवरिया(अ0जि0मा0) का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य(लम्बाई-16.00 किमी0)" अंकित हो गया है।

अतः शासनादेश दिनांक 11-12-2025 के विषय, प्रस्तर-1 व प्रस्तर-1 की तालिका में उल्लिखित कार्य का नाम "जनपद प्रयागराज(प्रा0ख0) की विधान सभा कोरांव के अन्तर्गत देवघाट-बड़ोखर-टुडियार मार्ग के (चैनेज 0.000 से 16.000) टिकरा बैजनाथ-करथुनी-लालगंज-दादरा-गाजनपुर दुवरिया(अ0जि0मा0) का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य(लम्बाई-16.00 किमी0)" के स्थान पर "जनपद प्रयागराज में देवघाट-बड़ोखर-टुडियार मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य (चैनेज 0.000 से 16.000)(लम्बाई 16.00 किमी0)" अंकित पढ़ा व समझा जाय।

3- उक्त शासनादेश संख्या-499/2025/I/1171830/2025/23-11099(099)/353/2025, दिनांक 11.12.2025 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय तथा शासनादेश दिनांक 11-12-2025 की शेष शर्ते व प्रतिबन्ध पूर्ववत् रहेंगे।

(अभय प्रताप श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

**संख्या व दिनांक तदैव**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।
2- निजी सचिव, मा० राज्यमंत्री, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी/ लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
5- संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
6- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
7- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
8- संबंधित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
9- संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी ।
10- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
11- वित्त व्यय (नियंत्रण) अनु0-8/वित्त आय-व्ययक अनु0-1, उ0प्र0 शासन।
12- राज्य योजना आयोग- 1/2, उ0प्र0 शासन ।
13- अधीक्षण अभियन्ता नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
14- लोक निर्माण अनुभाग-1/9/10/12 एवं 14, उ0प्र0 शासन ।
15- नोडल अधिकारी (ऑन लाईन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम), लो0नि0वि0, उ0प्र0 शासन।
16- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अभय प्रताप श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in